छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार,दिनांक 25 जुलाई, 2024 (श्रावण 3,1946)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–2023 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम,1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाई एवं उपकरणों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में भुईंया प्रोग्राम के क्रियान्वयन में दर्ज त्रुटियों से डायवर्सन प्रक्रिया को बंद रखे जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री उमेश पटेल, सदस्य, मिनी माता बांगो परियोजना अंतर्गत पोता से मालखरौदा होते हुए बड़े सीपत तक नहर निर्माण प्रारंभ नहीं होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, कोरबा जिले में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना हेतु विस्थापित किये गये परिवारों का पुनर्वास नहीं किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 2

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम कांपादाह में महाविद्यालय खोलने,

(ii) ग्राम रामपुर (ठाठापुर) में कृषि महाविद्यालय खोलने,

(iii) ग्राम मोहगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(iv) ग्राम सिंघनगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(v) ग्राम कुवांमालगी में माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,

(vi) ग्राम गौरमाटी में माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,

(vii) ग्राम पटपर में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(viii) ग्राम रोखनी में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(ix) ग्राम चिलमखोदरा में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(x) ग्राम उदका में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(xi) ग्राम बनिया में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, जिला–मुंगेली अंतर्गत –

(i) ग्राम रींवापार से डबहा–हेडसपुर–प्रतापपुर तक सड़क निर्माण करने तथा

(ii) ग्राम कंतेली में महाविद्यालय खोलने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय 45 मिनट

(2) श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक,2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

7. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट

प्रदेश में तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये बेहतर उपाय के संबंध में श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 24 जुलाई, 2024